



केंद्रीय विद्यालय संगठन(मु.)  
 18,संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली- 110016  
 KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN (HQ)  
 18, Institutional Area, S.J. Marg, New Delhi 110016.  
 Tel.: 011-2695168, 8860748880  
 Email- mpquota@kvs.gov.in  
 Website: www.kvsangathan.nic.in

File No: 11-PUB0GEN/3/2021-Publication/Spl.Disp./MP

दिनांक- 09.07.2021

**सांसद संस्तुति पर प्रवेश आदेश**


माननीय सांसद **Shri Su Thirunavukkarasar** के द्वारा के.वि.सं कूपन संख्या. **386** के माध्यम से की गई संस्तुति के आधार पर निम्न विद्यार्थियों को माननीय सांसद के लिए विशेष छूट प्रवेश योजना के अंतर्गत सत्र **2021-22** में प्रवेश दिया जाना अनुमोदित किया जाता है:-

S.N.	Name of the Child	Father's/Mother's Name (In Capital letter) and address with mobile No.	Class	Name of KV
1	V.P. SAATH-VEGA	SH. M.K. VIJAYA GOPAL MOB- 9543505888	7	GOLDEN ROCK
2	P.VAGISHA	SH. D.PRABHURAM MOB- 8248613028	2	GOLDEN ROCK
3	N.YOHA UMayAL	SH. P.NAGAPPAN MOB- 9629999582	3	GOLDEN ROCK
4	D.HERMOYINI	SH. N.DHANASEKARAN MOB- 9600887711	2	NO.1 TRICHY
5	S.MONISH	SH. B.SELYA KUMAR MOB-770891504	4	NO.2 TRICHY
6	R.NALAN	SH. S.RAJKUMAR MOB- 9487593606	6	GOLDEN ROCK
7	M.SAI ASHWANTH	SH. K.MUTHU SELVAM MOB- 9790472244	1	GOLDEN ROCK
8	M.THARUN	SH. R.MURUGHANANTHAM MOB- 9600860030	1	NO.2 TRICHY
9	H.AVANTIKA-SREE	SH. K.HARI PRASAD MOB- 9994559771	1	GOLDEN ROCK
10	A.AFTAAB AKBAR	SH. AKBAR MOHAMMAD MOB- 9941211446	5	GOLDEN ROCK

*(Handwritten signature and date)*  
 09/07/21

**निर्देश:-**

- (i) विद्यार्थी, अन्यथा के. वि. सं. की वर्तमान प्रवेश दिशानिर्देशिका 2021-22 के अनुसार पात्र होना चाहिए ।
- (ii) इन प्रवेशों की संख्या कक्षा की नियत संख्या के ऊपर एवं अलावा (over and above) होगी।
- (iii) प्राचार्य, संबन्धित केन्द्रीय विद्यालय को निर्देशित किया जाता है कि वे उपरोक्त विद्यार्थी के अभिभावकों को प्रवेश हेतु अविलम्ब सूचित करें।
- (iv) प्रवेश की अंतिम तिथि 31.08.2021 है।



(पिया ठाकुर)

संयुक्त आयुक्त (शैक्षिक)

**प्रतिलिपि:**

1. Shri Su Thirunavukkarasar माननीय संसद सदस्य को ई. मेल से सादर सूचनार्थ।
2. उपायुक्त, केविसं, **CHENNAI** संभाग को सूचनार्थ। (ई. मेल)
3. प्राचार्य- संबन्धित विद्यालय को आवश्यक कार्यवाई हेतु। (ई. मेल)